इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. एफ 1-13-2013-1-LIX.—राज्य शासन प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्वर्गीय पंडित उद्धवदास मेहता के नाम पर पुरस्कार संस्थापित करता है. इस पुरस्कार का विनियमन निम्नानुसार होगा :—

1. पुरस्कार का नाम "पंडित उद्धवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान" होगा, जिसे आयुष विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदान किया जाएगा.

2. पुरस्कार आयुर्वेद विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये यह सम्मान प्रदान किया जावेगा.

3. आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट चिकित्सकीय कार्य, अनुसंधान, नवाचार कार्य करने वाले मध्यप्रदेश के संस्थान / संगठन / व्यक्ति यह सम्मान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.

4. यह सम्मान रुपये एक लाख नगद एवं एक प्रमाण पत्र के रूप में दिया जावेगा.

5. सामान्यत: यह सम्मान / पुरस्कार प्रति वर्ष पं. उद्धवदास मेहता के जन्म दिवस (9 अगस्त) पर दिया जावेगा एवं पुरस्कार वितरण समारोह भोपाल में आयोजित किया जावेगा.

6. पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति / संस्थान / संगठन का चयन, पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष के द्वारा पुरस्कार अनुशंसा समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जावेगा.

पुरस्कार चयन समिति एवं पुरस्कार अनुशंसा समिति निम्नानुसार होंगी :—

पुरस्कार चयन समिति—

मान. मंत्री / राज्यमंत्री, आयुष	—	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, आयुष	—	सदस्य
2 नामांकित अशासकीय व्यक्ति	—	सदस्य
आयुक्त, आयुष	—	सदस्य-सचिव.

पुरस्कार चयन समिति—

आयुक्त, आयुष	—	अध्यक्ष
2 नामांकित अशासकीय व्यक्ति	—	सदस्य
प्रधानाचार्य, शास. आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	—	सदस्य
प्रधानाचार्य, शास. आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	—	सदस्य
प्रधानाचार्य, शास. आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	—	सदस्य-सचिव.

7. पुरस्कार अनुशंसा समिति का कार्य पुरस्कार हेतु विज्ञापन जारी करना, प्राप्त नामांकनों का परीक्षण करके पुरस्कार हेतु अनुशंसा करना तथा पुरस्कार चयन समिति द्वारा चयन उपरान्त पं. उद्धवदास मेहता के जन्म दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करना होगा.

8. मध्यप्रदेश के आयुर्वेद के क्षेत्र में ख्यातनाम संस्थान / शैक्षणिक संस्थान / व्यावसायिक संगठनों से पुरस्कार हेतु नामांकन आमंत्रित किये जायेंगे.

9. यह पुरस्कार एक से अधिक किन्तु दो से अधिक नहीं, ऐसे आयुर्वेद के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के ख्यातनाम संस्थान / संगठन / व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया जा सकेगा.

10. यदि यह पुरस्कार संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्ति / संस्थान / संगठन को दिया जावेगा तो पुरस्कार राशि दोनों व्यक्ति / संस्थान / संगठन को समान भाग से विभाजित कर दी जावेगी : परन्तु प्रमाण-पत्र प्रत्येक को अलग-अलग प्रदाय किया जावेगा.

11. एक बार किसी व्यक्ति / संस्थान / संगठन को नामांकित कर दिया जाता है तो, पुरस्कार अनुशंसा समिति द्वारा लगातार तीन वर्षों तक ऐसे नामांकितों के बारे में विचार किया जा सकेगा.

12. कोई भी व्यक्ति / संस्थान / संगठन जिसको एक बार पुरस्कार दिया जा चुका है, तो वह पुनः नामांकित होने हेतु विचारणीय नहीं होगा.

13. पुरस्कार अनुशंसा समिति के सदस्य जिस वर्ष समिति के सदस्य के रूप से कार्य करेंगे, उस वर्ष उनके स्वयं के नामों पर पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जावेगा.

14. अगर किसी संस्थान के किसी व्यक्ति को इस पुरस्कार हेतु विचार में शामिल किया जाता है तो उस संस्थान का कोई भी प्रतिनिधि उस वर्ष में पुरस्कार अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं होगा.

15. ऐसा कोई व्यक्ति जो इस पुरस्कार के लिये नामांकित किया जाता है तो उसके पास आयुर्वेद की मान्यता प्राप्त चिकित्सीय योग्यता होनी आवश्यक है एवं संस्थान / संगठन अथवा निकाय एक शासकीय / संबंधित अधिनियम द्वारा गठित आयुर्वेद के क्षेत्र में पंजीकृत संगठन के रूप में क्रियाशील होना आवश्यक है.

16. नामांकितों की योग्यताओं पर विचार करते समय अन्य बातें समान होने पर आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके कार्य की प्रासंगिकता को उचित महत्व दिया जाएगा.

17. विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति / संस्थान / संगठन से उनके द्वारा किये गये विशेष कार्य पर व्याख्यान देने हेतु अनुरोध किया जा सकेगा.

18. इन विनियमों में अवर्णित विषयों के बारे में पुरस्कार आयोजन समिति के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिये जायेंगे.

19. यदि कोई विधिक वाद उत्पन्न होता है तो वह जिला न्यायालय भोपाल के क्षेत्राधिकार में होगा.

20. किसी भी प्रकरण में पुरस्कार आयोजन समिति के अध्यक्ष एकमात्र मध्यस्थ होंगे.

मध्यप्रदेश शासन

आयुष विभाग

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे)

नामांकन प्रपत्र

''पंडित उद्धवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार'' हेतु

1. नामिती का नाम
2. प्रस्तावित पुरस्कार प्रति व्यक्ति / संस्थान / शैक्षणिक संस्थान / आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यवसायिक संगठन.
3. निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित कर विस्तृत बॉयो डाटा संलग्न करें :—

    (a) जन्म तिथि

    (b) नागरिकता

    (c) वर्तमान पता पिन कोड सहित
    दूरभाष एवं मोबाइल नं.
    ई-मेल
    फैक्स

    (d) नामिती द्वारा पूर्व में प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कार

    (e) कार्य क्षेत्र

    (f) आयुर्वेद के क्षेत्र में किये गये विशेष कार्य का विवरण.

    (g) सामान्यत: आयुर्वेद के क्षेत्र में किये गये कार्य का उल्लेखनीय प्रभाव.

    (h) आयुर्वेद विषयों में प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशन एवं पेटेंट्स की सूची (सूची संलग्न करें).

    (j) जिस कार्य हेतु नामांकित किया जा रहा है पूर्व में उसी कार्य हेतु प्राप्त कोई पुरस्कार यदि हो (पुरस्कार का नाम, वर्ष).

4. (a) म.प्र. में कार्य की अवधि

    (b) उक्त कार्य अवधि में प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान.

5. अन्य संबंधित जानकारियां जो कि पुरस्कार अनुशंसा समिति के द्वारा पुरस्कार के आंकलन में सहयोगी हो.
6. लेख के रूप में कार्य का संक्षिप्त परन्तु पूर्ण क्रमवार विवरण 250-300 अंग्रेजी व हिन्दी शब्दों में (पृथक्-पृथक् शीट संलग्न करें).

(स्थान एवं पता नामिती संस्था के)

नोट.—पुरस्कार हेतु नामांकन भेजने से पहले नामिती संस्था से अनुरोध है कि वह इस प्रपत्र में दिये गये विषय वस्तु बॉयो-डाटा एवं प्रकाशन के स्तर आदि परीक्षण कर ले.

1. यदि कोई बिन्दु पर प्रदत्त स्थान कम / अपर्याप्त हो तो वह जानकारी भेजने हेतु एक पृथक प्रपत्र व्यवहार में लावें एवं उक्त प्रपत्र को इस फॉर्म में संलग्न करें.
2. नामिती के 04 नूतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करें.

मध्यप्रदेश शासन

आयुष विभाग

पंडित उद्धवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार

संस्थान / संगठन हेतु संक्षेपिका प्रपत्र

नाम एवं पता कार्यालयीन/फोन नंबर/फैक्स/ ईमेल नंबर सहित	स्थापना वर्ष एवं प्रकार शासकीय/ स्वशासी अशासकीय	किये गये कार्यों की इतिवृत्त	क्षेत्र में क्रियाशील वर्षों की संख्या	प्रायोजितकर्ता प्राधिकारी के नाम एवं पता फोन-फैक्स ईमेल	आयुर्वेद के क्षेत्र में विषय प्रमुख विशेषज्ञता	उपलब्धियां	तीन व्यक्तियों के नाम जो आपको जानते हैं	इस क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार एवं वर्ष	इस हेतु विभाग को क्या पूर्व में आवेदन किया था	कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जानकारी जो आप उल्लेख करना चाहेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

नामिती/नामितियों का हस्ताक्षर (नामांकित प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट.—पुरस्कार हेतु अनुशंसा करने से पहले नामांकित प्राधिकर्ता से अनुरोध है कि वह नामिती के प्रकाशन के स्तर बायो डाटा के घटक आदि का सम्यक् रूप से परीक्षण कर लें.

मध्यप्रदेश शासन

आयुष विभाग

पंडित उद्धवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार

व्यक्ति हेतु संक्षेपिका प्रपत्र

नाम, पदवी एवं पता कार्यालयीन/ फोन नंबर/फैक्स/ ईमेल नंबर सहित	जन्मतिथि	योग्यता	अनुभव	प्रायोजितकर्ता प्राधिकारी के नाम एवं पता फोन-फैक्स ईमेल	आयुर्वेद के क्षेत्र में विषय प्रमुख विशेषज्ञता	प्रकाशनों की संख्या (पेपर/पुस्तक/ पेटेंट) राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय	तीन व्यक्तियों के नाम जो आपको जानते हों	इस क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार एवं वर्ष	इस हेतु विभाग को क्या पूर्व में आवेदन किया था	कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जानकारी जो आप उल्लेख करना चाहेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

नामिती का हस्ताक्षर (नामांकित प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट.—पुरस्कार हेतु अनुशंसा करने से पहले नामांकित प्राधिकर्ता से अनुरोध है कि वह नामिती के प्रकाशन के स्तर बायो डाटा के घटक आदि का सम्यक् रूप से सत्यापन/परीक्षण कर लें.

No. F 1-13-2013-1-LIX.—The State Government institutes an award after the name of late Pandit Uddhavdas Mehta, in order to honour outstanding contribution in the field of Ayurved in the State. The award shall be regulated as follows:—

1. The of this Award is "Pandit Uddhavdas Mehta Vaidya Shastri Ayurveda Seva Samman" Award which will be given by Department of Ayush, Madhya Pradesh.

2. Award will be given for outstanding contribution to Ayurveda Sciences.

3. Institutions/ Organizations/ Individuals of Madhya Pradesh are eligible for the Award for their work/ contribution carried out in any field of Ayurveda eg. Clinical Excellence, Research, Innovation etc.

4. Award shall bear a Cheque of "Rupees One Lakh" and a Certificate.

5. Award will ordinarily be given every year on 9th August, the birth anniversary of Pt. Uddhavdas Mehta. The Award ceremony will be organized at Bhopal.

6. The Selection of the awardees will be made by the Chairman of the Award Selection Committee on the basis of the recommendations of Award Recommendation Committee. The Award Selection Committee and Award Recommendaton Committee will be as follows:—

Award Selection Committee:—

Hon. Minister/Minister of State, Ayush	—Chairperson
Principal Secretary, Ayush	—Member
2 nominated non government persons	—Member
Commissioner, Ayush	—Member-Secretary

Award Recommendation Committee:—

Commissioner, Ayush	—Chairperson
2 nominated non government persons	—Member
Principal Govt. Ayurvedic College, Indore	—Member
Principal Govt. Ayurvedic College, Ujjain	—Member
Principal Govt. Ayurvedic College, Bhopal	—Member-Secretary.

7. The functions of the Award Recommendation Committee will be to issue advertisement for the award, to recommend for award after examining the received nominations and to organise the award ceremoney on the birth anniversary of Pt. Uddhavdas Mehta.

8. Nominations for the Award will be invited from reputed Institutions/Academic Organizations/ Professional bodies of Ayurveda in Madhya Pradesh.

9. The Award may be given jointly to more than one but not more than two reputed Individual Institutions/ Academic Organizations/Professional bodies of Ayurveda in Madhya Pradesh.

10. If an award is given to more than one reputed Institutions/Academic Organizations/Professional of Ayurveda, the Award prize will be equally distributed as mentioned in point number 4 and Certificate will be given individually.

11. An individual /Institution/Organization once nominated will be eligible for consideration for three consecutive years by the Award Recommendation Committee.

12. The candidate /Institution/Organization once awarded, will not be eligible for further nomination/ consideration.

13. Members of the Award Recommendation Committee will not be eligible to be considered for the Award for the year in which they serve in the Committee.

14. If a nominee from an institution is being considered for the award, representative from that institution will not be eligible for the membership of the Award Recommendation Committee.

15. An individual being considered for award should possess a recognized Medical qualification in Ayurveda and the organization/Institution/bodies should be the Government body/ a duly registered Institute/ Organization under relevant act and working in the field of Ayurveda.

16. In considering the merits of the nominees other things being equal, due regard shall be given to the relevance of their work in the field of Ayurveda.

17. The recipients are expected to deliver lecture if required on their specialized topic as and when requested, by the department.

18. Matters not covered by these regulations shall be decided by the Chairman, Award Selection Committee.

19. If any legal dispute arises it will be under the jurisdiction of the Bhopal District Court.

20. In any matter the sole arbitrator will be the Chairman, Award Organizing Committee.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF AYUSH

(To be submitted in three copies)

Nomination form

For award of "Pandit Uddhavdas Mehta Vaidya Shastri Ayurveda Seva Samman"

1. Name of Nominee
(in Capital Letters)

2. Proposed Award for Individual/ Institutions/ Academic Organizations/ Professional bodies of Ayurveda.

3. Enclose detailed Bio-data covering the following points:

a. Date of Birth

b. Nationality

c. Current Postal Address with Pin

Telephone & Mobile No.

E-mail

Fax

d. Honours and Award received by the Nominee.

e. Field of work

f. Mention the significant impact of the work done to the discipline.

g. Impact of the contribution in the field concerned in general.

h. List of publications, patents etc. (In reputed journals) in the field of Ayurveda (Enclose relevant documents).

j. Any award received by the nominee for the work for which nomination is being made (Please state name of the award and year).

4. a. Period of working in Madhya Pradesh

   b. Highlights of contribution made during his/her stay in the State of relevance to the development of the State.

5. Other relevant information useful for assessment by the Award Recommendation Committee (ARC).

6. Citations (In English and Hindi) : This should be in form of a write-up giving complete details (Sequence wise) in about 250-300 words in English and Hindi (Separate sheet to be attached).

(Place and Address of the Nominating Authority)

Note.—Nominating authority is requested to kindly verify the contents of Bio-data quality of publications of the nominee before recommending for Award.

1. Where the space provided under any head is not sufficient the information can be furnished on a separate sheet of paper and attached to this form.

2. Please attach four copies of recent passport sizes photograph of the nominees.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF AYUSH

"Pandit Uddhavdas Mehta Vaidya Shastri Ayurveda Seva Samman" Award

Summary Sheet for Institutions/Organizations

Name & Address (Official/ with Phone Fax/E-mail Number	Year of establishment & Status Government/ Autonomous/ Private bodies	Activities conducted	Years of Functionality	Name Address of Sponsoring Authority Phone/Fax/ E-mail Number	Subject with Major field of Specialization in Ayurveda	Achievements	Give three name of Reference	Award Received in the field with year	Whether applied earlier in department for Award	Any other important Information like to mention
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Signature of the Nominee(s) (Signature of the Nominating Authority)

Note:—Nominating authority is requested to kindly verify the contents of Biodata quality of publications of the nominee before recommending for Award.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF AYUSH

"Pandit Uddhavdas Mehta Vaidya Shastri Ayurveda Seva Samman" Award

Summary Sheet for Individual

Name Position Address (Official/ Residential/ with Phone Fax/E-mail Number	Date of Birth	Qualification	Experience	Name Address of Sponsoring Authority Phone/Fax/ E-mail Number	Subject with Major field of Specialization in Ayurveda	Number of publication (Paper/ Books/ Patent) National/ International	Give three name of Reference	Award Received in the field with year	Whether applied earlier in department for Award	Any other important Information like to mention
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Signature of the Nominee(s) (Signature of the Nominating Authority)

Note:—Nominating authority is requested to kindly verify the contents of Biodata quality of publications of the nominee before recommending for Award.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.